दिनांक 05.08.2025
पस विज्ञप्ति 06/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद खीरी/थाना मितौली

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 04.08.2025 की रात्रि थाना मितौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मैनहन रोड से पिरई नदी को जाने वाले रास्ते से पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त इरफान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर, चंदौली व खीरी के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मितौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इरफान निवासी गुलरा टांडा थाना मझगई जनपद खीरी।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सीतापुर/थाना रामपुर मथुरा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 05.08.2025 को थाना रामपुर मथुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुडैचा मार्ग पर सेथरामन मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सीतापुर, बाराबंकी व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामपुर मथुरा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रामपुर मथुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राहुल निवासी ग्राम विशेषण म0गौरा थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

<u>जनपद जौनपुर/थाना नेवढ़िया</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 08 लाख 46 हजार 600 रूपये नगद**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा मय कारतूस 315 बोर**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 05.08.2025 को थाना नेवढ़िया, मडियाहूँ, बरसठी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर होरैय्या गेट, पुलिया के पास से 03 अभियुक्तों

1–अरविन्द उर्फ मंगनू उर्फ करन 2–राजन उर्फ बड़कू 3–विकास को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 08 लाख 46 हजार 600 रूपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा मय कारतूस 315 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.07.2025 को थाना नेवढ़िया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नेवढ़िया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अरविन्द उर्फ मंगनू उर्फ करन के विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त राजन उर्फ बड़कू के विरूद्ध जनपद जौनपुर व कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना नेवढ़िया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अरविन्द उर्फ मंगनू उर्फ करन निवासी ग्राम जयरामपुर थाना मड़ियाहू जनपद जौनपुर।

2–राजन उर्फ बड़कू निवासी ग्राम हरसोस थाना जनसा कमिश्नरेट वाराणसी।

3–विकास निवासी ग्राम काकोरी थाना जलालपुर जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 08 लाख 46 हजार 600 रूपये नगद।

2–लूट का 01 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा मय कारतूस 315 बोर।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद प्रतापगढ़/थाना संग्रामगढ़

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण व सफेद धातु के ईट**
- **02 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 04.08.2025 की रात्रि थाना संग्रामगढ़ व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मीरपुर रोड के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सूर्यभान घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–अंकित सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण व सफेद धातु के ईट, 02 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना संग्रामगढ पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि लूट की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सूर्यभान निवासी ग्राम रामपुर गोहरी थाना थरवई, प्रयागराज।

2–अंकित निवासी ग्राम सेवईत थाना सोरांव, प्रयागराज।

बरामदगी

1—लूटे गये पीली—सफेद धातु के आभूषण व सफेद धातु के ईट।

2—02 हजार रूपये नगद।

3—03 मोबाइल फोन।

4—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सदर बाजार

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 04.08.2025 की रात्रि थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जखौदा चौराहा पर चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त प्रभु उर्फ टंग्गा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा, जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रभु उर्फ टंग्गा निवासी रूनकता थाना सिकन्दरा, कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1—चोरी के 01 लाख रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरट गाजियाबाद/थाना लोनी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 किलो 638 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04.08.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लोनी इंटर कॉलेज के पास से 02 अभियुक्तों 1—विकास 2—मोहन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 किलो 638 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना लोनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विकास निवासी ग्राम डुगरावली थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2—मोहन निवासी पंचलोक कॉलोनी अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—02 किलो 638 ग्राम अवैध स्मैक।

2—01 मोटर साइकिल।

➢ **जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जानगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त राहुल को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना हुसैनगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना हुसैनगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व = डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अशोक 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद खीरी/थाना सिगांही (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 22 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद खीरी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद खीरी द्वारा थाना सिगांही पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/34/323/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अवधराम 2–रामलाल को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 22 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बिजनौर/थाना रेहड (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 37 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना रेहड पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/452/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 37 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————